

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :-0005/2021

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।

—बनाम—

रसीद पुत्र अकबर, जाति कायमखानी मुसलमान, उम्र 34 साल, निवासी वार्ड नं0 14, बाकरा फाटक मदरसा के पास, कस्बा झुंझुनू, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनू, जिला झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 खण्ड (ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

1. सरकार की ओर से:-श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. गैर सायल की ओर से:- स्वयं मय वकील दिलसाद मोहम्मद फारुकी के उपस्थित

—निर्णय—

दिनांक 15.11.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 14.09.2021 को गैरसायल रसीद पुत्र अकबर, जाति कायमखानी मुसलमान, उम्र 34 साल, निवासी वार्ड नं0 14, बाकरा फाटक मदरसा के पास, कस्बा झुंझुनू, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनू, जिला झुंझुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि रसीद पुत्र अकबर, जाति कायमखानी मुसलमान, उम्र 34 साल, निवासी वार्ड नं0 14, बाकरा फाटक मदरसा के पास, कस्बा झुंझुनू, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनू, जिला झुंझुनू का रहने वाला है जो एक आपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति तथा अब्बल दर्जे का आदतन जुआरी है। जिसने अपनी आपराधिक गतिविधियों से कस्बा झुंझुनू व आस-पास के लोगों को भयभीत व आंतकित कर रखा है तथा अपने जुआ के कारोबार में युवा पीढ़ी को धकेल रहा है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर इसकी गतिविधियों की सूचना देने व रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार होता है। गैरसायल के कृत्य अभी भी लगातार जारी है इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज पर विपरीत असर पड रहा है तथा इलाका में लोगों के अमन चैन को ठेस पहुंच रही है। इसके खिलाफ अब तक 3 अभियोग दर्ज किये गये हैं। इसके जिले की सीमाओं में रहने से आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा अपने कृत्यों को लगातार अन्जाम देगा। ऐसी स्थिति में गैरसायल की आपराधिक गतिविधियों को लगाम रखने के लिए जिला निष्कासन किया जाना आवश्यक है। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. अभियोग संख्या 133/2021 दिनांक 07.03.2021 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 74 दिनांक 19.03.2021 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.08.2021 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 342/2021 दिनांक 05.07.2021 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 188 दिनांक 14.07.2021 को न्यायालय में पेश किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है।

3. अभियोग संख्या 370/2021 दिनांक 14.07.2021 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 197 दिनांक 23.07.2021 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.08.2021 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार उक्त रसीद पुत्र अकबर, जाति कायमखानी मुसलमान, उम्र 34 साल, निवासी वार्ड नं0 14, बाकरा फाटक मदरसा के पास, कस्बा झुंझुनूं, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगसा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 15.11.2021 को गैरसायल ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर उक्त कृत्यों को स्वीकार किया।

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं—

1. अभियोग संख्या 133/2021 दिनांक 07.03.2021 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली, झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 74 दिनांक 19.03.2021 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.08.2021 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 342/2021 दिनांक 05.07.2021 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली, झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 188 दिनांक 14.07.2021 को न्यायालय में पेश किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है।
3. अभियोग संख्या 370/2021 दिनांक 14.07.2021 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली, झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 197 दिनांक 23.07.2021 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.08.2021 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 2 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनूं जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस विद्वान एपीपी-1 पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल के खिलाफ अभियोग संख्या 133/2021 दिनांक 07.03.2021 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली, झुंझुनूं, अभियोग संख्या 342/2021 दिनांक 05.07.2021 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली, झुंझुनूं, अभियोग संख्या 370/2021 दिनांक 14.07.2021 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली, झुंझुनूं में दर्ज हुए थे, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल रसीद को दोषी मानकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के

26

तहत क्रमशः 200 रूपये, विचाराधीन न्यायालय एवं 200 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। गैर सायल रसीद राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 3 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। गैरसायल ने उपस्थित होकर अपना जुर्म लिखित में स्वीकार किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (ii) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः रसीद पुत्र अकबर, जाति कायमखानी मुसलमान, उम्र 34 साल, निवासी वार्ड नं० 14, बाकरा फाटक मदरसा के पास, कस्बा झुंझुनू, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनू, जिला झुंझुनू को राज० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (ii) के तहत 15 दिन की अवधि के लिए झुंझुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त 15 दिन की अवधि में गैर सायल कोतवाली सीकर क्षेत्र में रहेगा तथा वह प्रतिदिन कोतवाली में उपस्थिति दर्ज करवायेगा तथा थाना कोतवाली सीकर इसकी लगातार सूचना पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनू, जिला झुंझुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना कोतवाली, झुंझुनू, जिला झुंझुनू गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा। यह निर्णय दिनांक 15.11.2021 के पश्चात 07 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुंझुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू

सुदूर

15/11/21